रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 अक्तूबर, 2005/29 आश्विन, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अक्तूबर, 2005

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-17/2005-लेज.—श्री अजय अवस्थी, अधिवक्ता, ने बैंजनाथ उप-मण्डल, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर, नौटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नौटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नौटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा की सिफारिशों पर, जो कि इस निमित सक्षम प्राधिकारी हैं, और नौटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजय अवस्थी, अधिवक्ता, को बैंजनाथ उप-मण्डल, जिला कांगड़ा की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नौटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E (9)-17/2005-Leg., dated* 19-10-2005 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th October, 2005

No. **LLR-E(9)-17/2005-Leg.**—Whereas Shri Ajay Awasthy, Advocate, Baijnath has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Baijnath Sub-Division of Kangra district;

And whereas all the formalities required under the said Act and Rules have been completed.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Kangra, who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956 is pleased to appoint Shri Ajay Awasthy, Advocate, as Public Notary within the limits of Baijnath Sub-Division of Kangra district, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (*Law*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित